



कार्यालय वन मण्डलाधिकारी

गरियाबन्द वन मण्डल – गरियाबन्द, जिला – गरियाबन्द (छ.ग.)

Phone No. (office)- 07706 296350

E-mail- dfogariaband.@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./भू-प्र./22-23/2142

गरियाबंद, दिनांक 20/03/2023

प्रति,

असिस्टेंट वार्ड्स प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
जियो डिजिटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fibre Private Ltd. Raipur Laying of Optical Fibre Cable (OFC) line in Gariyaband Forest Division under Gariyaband District of Chhattisgarh State, Area 2.921 ha.

पंजीयन क्रमांक – FP/CG/OFC/155724/2022

संदर्भ :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-939A/398 रायपुर, दिनांक 22/02/2023.
2. मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त रायपुर छ.ग. का पत्र क्र./तक.शा./विविध/2791 रायपुर दिनांक 06.03.2023

—000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक- 01 व 02 इस कार्यालय को सम्बोधित और आपकी ओर पृष्ठांकित है। अवलोकन करने का कष्ट करें। वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत वन भूमि के गैर वानिकी कार्य Laying of the OFC along with Ro (Road Corridor) Under Networking strengthening and Providing Connecting to Rural Areas in Gariyaband District of Chhattisgarh हेतु वनभूमि रकबा 2.921 हे. व्यपवर्तन प्रस्ताव में त्रुटियां पाई गई हैं। जो निम्नानुसार है :-

ऑनलाईन त्रुटियां :-

1. प्रस्ताव में आवेदक संस्थान द्वारा राजस्व वन भूमि रकबा 0.366 हे. आवेदित किया गया है, किन्तु प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 128 में कलेक्टर द्वारा रकबा 0.359 हे. का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। इस प्रकार अनापत्ति प्रमाण पत्र में 0.007 हे. का अंतर है।
2. Form A Part-II के कालम नं. 16 भाग 3 अपलोड नहीं किया गया है।

ऑफलाईन त्रुटियां :-

1. कंडिका 13 संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक एवं स्थान अंकित नहीं किया गया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र में दिनांक एवं स्थान का उल्लेख किया जावे।
2. प्रस्ताव में आवेदक संस्थान द्वारा राजस्व वन भूमि रकबा 0.366 हे. आवेदित किया गया है किन्तु प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 128 में कलेक्टर द्वारा रकबा 0.359 हे. का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। इस प्रकार अनापत्ति प्रमाण पत्र में 0.007 हे. का अंतर है। अतएव 0.007 हे. का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः उपरोक्तानुसार ऑनलाईन एवं ऑफलाईन कमियों की पूर्ति कर संशोधित प्रस्ताव प्रेषित करें, ताकि प्रकरण में अग्रोत्तर कार्यवाही किया जा सके।

संलग्न :- प्रस्ताव मूलतः 03 प्रति में।

वनमंडलाधिकारी

गरियाबंद वनमंडल, गरियाबंद